



Neutral Citation
2018 : CGHC : 25260

1

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
विविध अपील संख्या 24 / 2018

1. कलाबाई पति श्री जयलाल उम्र लगभग 55 वर्ष जाति गांडा, व्यवसाय कृषि और गृहिणी, निवासी ग्राम पथसिवनी, थाना छुरा, तहसील और जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़
2. कृष्णा पिता श्री लखन लाल उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी ग्राम मुढ़ीपार, थाना एवं तहसील पिथौरा, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़
3. गायत्री उर्फ मुधिपहरीन पिता लखनलाल उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती, बागबाहरा, तहसील बागबाहरा, जिला महसमुंद, छत्तीसगढ़
4. प्रदीप पिता लाखन लाल उम्र लगभग 17 वर्ष,
5. महेंद्र पिता लाखन लाल उम्र लगभग 16 वर्ष,
6. सुकवारो पति लाखन लाल उम्र लगभग 48 वर्ष,

अपीलकर्ता क्रमांक 4 और 5 [नाबालिग] द्वारा नैसर्गिक अभिवावक
उनकी माता श्रीमती सुकवारो

अपीलकर्ता क्रमांक 4 से 6 सभी निवासी ग्राम मुढ़ीपार,
थाना और तहसील पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

7. भरत पिता रतिराम, निवासी ग्राम केरामुड़ा, तहसील बागबाहरा,
जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

----- अपीलकर्ता

बनाम

1. श्रीमती देवन्तिन बाई पति संतोष आडवंशी, उम्र लगभग 37 वर्ष
व्यवसाय गृहिणी और आंगनबाड़ी सहायिका,
2. संतोष कुमार पिता स्वर्गीय श्री रतिराम, उम्र लगभग 43 वर्ष,
3. जगदीश पिता स्वर्गीय श्री रतिराम, उम्र लगभग 41 वर्ष,



Neutral Citation

2018 : CGHC : 25260

4. संतोषी उर्फ गायत्री पिता स्वर्गीय श्री रतिराम, उम्र लगभग 37 वर्ष,
सभी जाति गंडा, निवासी ग्राम अमेठी, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद,
छत्तीसगढ़
5. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, महासमुंद, जिला
महासमुंद, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

अपीलकर्ताओं के लिए- श्री सुनील साहू और श्री सुमित श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
उत्तरवादी संख्या 5 के लिए- श्री आदित्य शर्मा, पी.एल.
उत्तरवादी संख्या 1 से 4 के लिए- कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।



सुना गया।

माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी
आदेश
09/10/2018

1. यह अपील दिनांक 9/02/2018 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके अधीन अपीलीय न्यायालय ने मामले को निर्णय के लिए विचारण न्यायालय में वापस भेज दिया था, क्योंकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष दं. प्र. सं. के आदेश 41 नियम 27 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, साथ ही दस्तावेजों यानी राशन कार्ड को अपीलकर्ता द्वारा पक्षों के आपसी संबंधों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

2. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि देवन्तिन बाई, संतोष कुमार, जगदीश और संतोषी चार व्यक्तियों ने कला बाई, कृष्णा, गायत्री, प्रदीप, महेंद्र, सुखवारो और भरत उत्तरवादियों के विरुद्ध मुकदमा प्रस्तुत किया था। उक्त सिविल वाद में निषेधाज्ञा के साथ घोषणा की मांग की गई थी कि उत्तरवादियों को संपत्ति पर कोई अधिकार या हक नहीं है। उक्त वाद में उत्तरवादियों द्वारा प्रतिवाद भी प्रस्तुत किया गया था। कहा गया था कि उत्तरवादी कला बाई बुलची नामक महिला



से पैदा हुई थी और बुलची का विवाह चमरा से नहीं हुआ था जिसके माध्यम से संपत्ति हस्तांतरित हुई थी। आगे कहा गया था कि कला बाई की मां बुलची चमरा के जीवनकाल में उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगी थी, इसलिए कला बाई और उनके उत्तराधिकारियों का चमरा की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और चमरा की मृत्यु के बाद संपत्ति हड़पने के लिए राजस्व अभिलेखों में नामांतरण कराया गया।

3. उत्तरवादियों ने कहा कि मूल भूमि पचकौड़ के पास थी, उसके चार बेटे थे और महेशु उर्फ चमरा उनमें से एक था। यह कहा गया कि महेश उर्फ केशु की मृत्यु बिना किसी संतान के हुई और इसलिए पचकौड़ और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद, भूमि रतिराम, महेशु (चमरा) और चमनलाल के नाम पर म्यूटेशन की गई। यह कहा गया कि कला बाई के पिता महेशु (चमरा) थे, इसलिए वह महेशु उर्फ चमरा की भूमि में एक तिहाई हिस्सा पाने की हकदार थी। यह कहा गया कि कला बाई बुलची और महेशु के रिश्ते से पैदा हुई थी। यद्यपि बाद में 2004 में महेशु की मृत्यु के बाद उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया और विभाजन और आधिपत्य के माध्यम से एक तिहाई हिस्से का दावा करते हुए प्रति दावा किया गया।

4. प्रारंभिक रूप से विचारण न्यायालय ने दिनांक 29/11/2016 को निर्णय एवं डिक्री द्वारा सुनवाई के पश्चात वादी के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा उत्तरवादी कलाबाई के प्रतिवाद को भी स्वीकार किया तथा घोषित किया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 एक तिहाई हिस्सा का हकदार है तथा भूमि का विभाजन एवं कब्जा पाने का हकदार है तथा शेष व्यक्तियों को अलग-अलग भूमि दी गई।

5. उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध जिला न्यायाधीश महासमुंद के समक्ष अपील क्रमांक एच 04 ए/2017 के अधीन अपील की गई। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा इस अपील के लंबित रहने के दौरान दं. प्र. सं. के आदेश 41 नियम 27 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा चार दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दं. प्र. सं. के आदेश 41 नियम 27 के अधीन आवेदन में कारण बताए गए कि दिवाली के दौरान घर की सफाई करते समय कुछ दस्तावेज मिले थे जो पक्षों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक थे। दस्तावेज में राशन कार्ड भी शामिल है जो चमरा के नाम से था। अपील में उत्तरवादी ने इस कथन से इनकार किया और कहा कि उक्त दस्तावेज गलत तरीके से तैयार किए गए थे।



Neutral Citation

2018 : CGHC : 25260

6. अपीलीय न्यायालय ने अपील पर निर्णय देते समय दो और प्रश्न पूछे जो इस प्रकार हैं:-

(क) क्या उत्तरवादी संख्या 1 यानी कला बाई चमरा की पुत्री है?

(ख) क्या चमरा और महेशू एक ही व्यक्ति हैं या वे अलग-अलग दो व्यक्ति हैं यानी चमरा और महेशू?

और मामले को दं. प्र. सं. के आदेश 41 नियम 27 के अधीन विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पर निर्णय के लिए वापस भेज दिया।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय न्यायालय ने तथ्य को समझने में विफल रहा है और बिना किसी विवेक का प्रयोग किए मौजूदा साक्ष्य के अलावा अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति देकर मामले को वापस भेज दिया है, जिसकी दं. प्र. सं. के आदेश 41 नियम 29 के अधीन अनुमति नहीं है, इसलिए आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए।

8. पास ओवर में दूसरी पुकार में भी उत्तरवादी संख्या 1 से 4 की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

9. आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलीय न्यायालय ने पाया कि पक्षकारों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए वादी और उत्तरवादी दोनों ने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। न्यायालय ने पाया कि परस्पर संबंध दर्शाने वाले कोई भी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, कोटवारी पंजी, स्कूल प्रमाण पत्र और राजस्व दस्तावेज जो प्रासंगिक होते, प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। न्यायालय ने पाया कि एक पक्ष का कहना है कि चमरा और महेशू एक ही व्यक्ति थे जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि चमरा और महेशू अलग-अलग दो व्यक्ति थे। इसी तरह न्यायालय ने पाया कि कला बाई चमरा की बेटी नहीं थी जबकि दूसरे विरोधी पक्ष ने कहा है कि कला बाई चमरा की बेटी थी। इसलिए मौखिक साक्ष्य के अलावा पक्षकारों के संबंध को सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं रखा गया। एक वादी संतोष के बयान का मूल्यांकन करते हुए न्यायालय ने पैरा-16 में जिरह के कथनों का अवलोकन किया और कहा कि जब विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि महेशू @ चमरा एक व्यक्ति है तो उसने उत्तर नहीं दिया और चुप्पी साध ली जिससे संदेह उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कला बाई उत्तरवादी संख्या 1 ने पैरा 12 में कहा कि महेशू की



Neutral Citation

2018 : CGHC : 25260

5

मृत्यु हो चुकी है और वह अविवाहित है। तत्पश्चात्, उसने स्वेच्छा से कहा कि महेशु उसका पिता है।

10. इसलिए न्यायालय ने आदेश 41 नियम 27 दं. प्र. सं. के अधीन आवेदन पर निर्णय करते हुए पाया कि पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तैयार नहीं प्रतीत होते हैं। आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि आदेश 41 नियम 27 दं. प्र. सं. के अधीन आवेदन के साथ दस्तावेज की प्रकृति राशन कार्ड थी जिसमें चमरा और उसकी पत्नी चमरिन बाई और उनकी बेटियों का नाम गणवती और रेखा दर्शाया गया था। इस प्रकार पक्षों के बीच संबंध को समझने के लिए यह देखा गया कि उक्त दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं और आगे साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

11. भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दं. प्र. सं. के आदेश 41 नियम 27 के अधीन आवेदन पर निर्णय लेते समय पालन किए जाने वाले सिद्धांत को स्थापित करने के लिए [(2012) 8 एससीसी 148] में पैरा 36 से 42 प्रासंगिक होंगे और नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

“36. सामान्य सिद्धांत यह है कि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के अभिलेख से बाहर नहीं जाना चाहिए और अपील में कोई सबूत नहीं ले सकता है। यद्यपि, अपवाद के रूप में, दं. प्र. सं. का आदेश 41 नियम 27 अपीलीय न्यायालय को असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त सबूत लेने में सक्षम बनाता है। अपीलीय न्यायालय केवल तभी अतिरिक्त सबूत की अनुमति दे सकती है जब इस नियम में निर्धारित शर्तें मौजूद पाई जाती हैं। पक्षकारों को ऐसे सबूतों को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार, प्रावधान तब लागू नहीं होता है, जब अभिलेख पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपीलीय न्यायालय संतोषजनक फैसला सुना सकती है। मामला पूरी तरह से न्यायालय के विवेक के भीतर है और इसका इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। ऐसा विवेक केवल न्यायिक विवेक है जो संविधान द्वारा सीमित है। नियम में ही निर्दिष्ट सीमा। (देखें: के. वेंकटरमैया बनाम ए. सीताराम रेड्डी, एआईआर 1963 एससी 1526; ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम लाला पंचम, एआईआर 1965 एससी 1008; सूंडा राम बनाम रामेश्वरलाल, एआईआर 1975 एससी 479; और सैयद अब्दुल खादर बनाम रामी रेड्डी, एआईआर 1979 एससी 553)।”



“37. अपीलीय न्यायालय को आमतौर पर किसी पक्ष को अपील में नया मुद्दा उठाने में सक्षम बनाने के लिए नए साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी तरह, जहां कोई पक्ष जिस पर किसी निश्चित बिंदु को साबित करने का दायित्व है, वह दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो वह साक्ष्य पेश करने के लिए नए अवसर का हकदार नहीं है, क्योंकि न्यायालय ऐसे मामले में उसके विरुद्ध फैसला सुना सकता है और फैसला सुनाने के लिए उसे किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। (देखें: हाजी मोहम्मद इशाक बनाम मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली एंड कंपनी, एआईआर 1978 एससी 798)।”

“38. आदेश 41, नियम 27 दं. प्र. सं. के अधीन, अपीलीय न्यायालय के पास एक दस्तावेज पेश करने और एक गवाह की जांच करने की अनुमति देने की शक्ति है। लेकिन उक्त न्यायालय की आवश्यकता उन मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहाँ उसे निर्णय सुनाने में सक्षम होने के लिए ऐसे साक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक लगता है। यह प्रावधान अपीलीय न्यायालय को अपीलीय चरण में नए साक्ष्य देने का अधिकार नहीं देता है, जहाँ ऐसे साक्ष्य के बिना भी वह किसी मामले में निर्णय सुना सकता है। यह अपीलीय न्यायालय को केवल एक विशेष तरीके से निर्णय सुनाने के उद्देश्य से नए साक्ष्य देने का अधिकार नहीं देता है। दूसरे शब्दों में, यह केवल साक्ष्य में किसी कमी को दूर करने के लिए है कि अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने का अधिकार है। [देखें: लाला पंचम एआईआर 1965 एससी 1008]।”

“39. विचारण न्यायालय में किसी एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को पूरक बनाना अपीलीय न्यायालय का काम नहीं है। इसलिए, विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत न करने के संतोषजनक कारणों के अभाव में, अतिरिक्त साक्ष्य को अपील में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विचारण न्यायालय में लापरवाही का दोषी पक्ष इस नियम के अधीन आगे साक्ष्य देने की अनुमति पाने का हकदार नहीं है। इसलिए, जिस पक्ष को विचारण न्यायालय में कुछ साक्ष्य



प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिला था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा या ऐसा न करने का चुनाव किया, उसे अपील में स्वीकार नहीं किया जा सकता। (देखें: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव, एआईआर 1957 एससी 912; और एस राजगोपाल बनाम सी.एम. अर्मुगम, एआईआर 1969 एससी 101)।”

“40. पक्षकार की असावधानी या शामिल विधिक विवादकों को समझने में उसकी असमर्थता या वकील की गलत सलाह या वकील की लापरवाही या पक्षकार को किसी दस्तावेज के महत्व का एहसास न होना इस नियम के अर्थ में "पर्याप्त कारण" नहीं बनता है। केवल यह तथ्य कि कुछ साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, अपने आप में अपील में उस साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।”

“41. "किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए" शब्दों को वाक्य के आरंभ में "आवश्यकता है" शब्द के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ताकि यह नियम केवल तभी लागू हो, जब किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता हो, उदाहरण के लिए, जब विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य इतने अपूर्ण रूप से लिया गया हो कि अपीलीय न्यायालय संतोषजनक निर्णय पारित नहीं कर सकती।”

“42. जब भी अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करता है तो उसे ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए। (उप-नियम 2)। यह एक हितकारी प्रावधान है जो मुकदमेबाजी के अंतिम चरण में साक्ष्य को बहुत आसानी से स्वीकार किए जाने के विरुद्ध एक जांच के रूप में कार्य करता है और कारणों का कथन विश्वास को प्रेरित कर सकता है और आपत्ति को निरस्त्र कर सकता है। इस आवश्यकता का एक अन्य कारण यह है कि, जहां निर्णय से आगे की अपील होती है, कारणों का अभिलेख आगे की अपील के न्यायालय के लिए यह देखने के लिए उपयोगी और आवश्यक होगा कि क्या इस नियम के अधीन विवेक का प्रयोग विचारण न्यायालय द्वारा ठीक से किया गया है।



इसलिए, कारणों को दर्ज करने में चूक को एक गंभीर दोष माना जाना चाहिए। लेकिन यह प्रावधान केवल निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है, यदि ऐसे साक्ष्य को नियम के अधीन स्वीकार किया जा सकता है।”

12. इसी तरह वादी बनाम अमीलाल और अन्य [(2015) 1 एस.सी.सी. 677] के मामले में रिपोर्ट की गई न्यायालय ने कहा कि जब विचाराधीन दस्तावेज प्रासंगिक विवाद्यक पर प्रकाश डालेगा और निर्णय सुनाने के लिए आवश्यक है, तो दस्तावेज आवश्यक होगा। उक्त निर्णय के पैरा 5 और 6 नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

“5. अब यह स्पष्ट है कि नियम 27 अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित है। उप-नियम (1) में सम्मिलित सामान्य सिद्धांत यह है कि अपील के पक्षकार किसी मामले में कमी को दूर करने या किसी अंतराल को भरने के लिए अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य (मौखिक या दस्तावेजी) प्रस्तुत करने के हकदार नहीं हैं। उस सिद्धांत के अपवाद खंड (ए), (एए) और (बी) में सूचीबद्ध हैं। हम यहां खंड (बी) से संबंधित हैं जो एक सक्षम प्रावधान है। यह कहता है कि यदि अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने में सक्षम होने के लिए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी गवाह की जांच करने की आवश्यकता होती है, तो वह ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने या गवाह की जांच करने की अनुमति दे सकता है। अपीलीय न्यायालय की आवश्यकता या जरूरत यह है कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि न्याय का हित सर्वोपरि है। यदि उसे लगता है कि ऐसे साक्ष्य के अभाव में निर्णय सुनाना उचित नहीं होगा यदि किसी मामले में दोषपूर्ण निर्णय होता है और प्रभावी निर्णय सुनाने के लिए ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करना आवश्यक है, तो खंड (ख) उसे वह रास्ता अपनाने में सक्षम बनाता है। खंड (ख) का आह्वान पक्षकारों की सतर्कता या लापरवाही पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि यह उनके लिए नहीं है। अपीलकर्ता को इसका सहारा तब लेना चाहिए जब अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद उसे लगे कि मामले में संतोषजनक निर्णय सुनाने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करना आवश्यक है।”

“6. इस मामले में, इस प्रश्न पर कि क्या रूपा राम की मृत्यु 1951 में हुई थी या 1960/61 में, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने म्यूटेशन संख्या 49 की एक





प्रति का संदर्भ दिया और मामले को मूल प्राधिकारी को वापस भेज दिया। प्रश्नगत दस्तावेज प्रासंगिक विवादक पर प्रकाश डालेगा और इसलिए, इस प्रश्न पर निर्णय सुनाने के लिए आवश्यक है कि क्या मामले को वापस भेजना उचित था। हमारे विचार में, राजस्व बोर्ड को उपर्युक्त खंड (ख) के अधीन अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करना चाहिए था। उसने उस दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार करके गलती की।”

13. उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में जब विद्वान जिला न्यायाधीश के आदेश की जांच की जाती है तो यह प्रतिबिंबित होता है कि न्यायालय ने कारण बताए हैं कि दस्तावेज क्यों आवश्यक होगा क्योंकि कुछ दस्तावेजी साक्ष्य पक्षों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे, जब दोनों पक्षों ने अस्वीकार किया था और एक दूसरे के प्रतिकूल थे। विद्वान न्यायालय द्वारा दिए गए कारण सर्वोच्च न्यायालय (पूर्वोक्त) द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को संतुष्ट करते हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि बिना किसी विचार के न्यायालय ने आदेश पारित किया है। आदेश का अवलोकन यह दर्शाता है कि न्यायालय ने पूरे साक्ष्य पर जाने के लिए पर्याप्त प्रयास किया था और उसके बाद दस्तावेज की आवश्यकता और मूल्य का मूल्यांकन किया और पाया कि पक्षों के बीच संबंध दिखाने के लिए मौखिक साक्ष्य को छोड़कर यदि कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं जो पक्षों के बीच संबंधों पर प्रकाश डाल सकते हैं तो यह आवश्यक होगा। इस प्रकार इस न्यायालय की सुविचारित राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस विशेष मामले के तथ्यों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप है।

14. परिणामस्वरूप, अपील निरस्त करने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

15. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस करे।

सही/-

(गौतम भादुड़ी)

न्यायाधीश



Neutral Citation
2018 : CGHC : 25260

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

